न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / अध्यक्ष /   / 2014 निगरानी R-2466-PBR/14

मालवेन्द्रसिंह पुत्र श्री अमरसिंह कृष्क गाम मगरौरा तहसील डबरा व जिला ग्वा0....प्रार्थी

बनाम

मोहन कुमार रोहेरा पुत्र श्री किशनलाल रोहेरा निवासी ठाकुरबाबा रोड डबरा जिला ग्वालियर

.....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर के प्रकरण कमांक 318 / 2013–14 बी–121 में पारित आदेश दिनांकी 29.05.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2466--पीबीआर / 14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 29–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तर्क के दौरान आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा स्पष्ट किया गया कि आवेदक की ओर से वास्तव में यह निगरानी एस.एल.आर. के आदेश दिनांक 25–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः यह निगरानी एस.एल.आर. के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जाना मान्य की जाये । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का उक्त अनुरोध स्वीकार किया जाता है, और यह निगरानी एस.एल.आर. के आदेश दिनांक 25–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की जाना मान्य की जाती है । एस.एल.आर. के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि एस.एल.आर. द्वारा उक्त आदेश से सीमांकन दल का गठन किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा तर्क के दौरान पंचनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे भी स्पष्ट है कि अभी तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम सीमांकन आदेश पारित नहीं किया गया है, और आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	